अपील सूचना अधिकार संख्या 73/2018 (RCMS 2018/00188) श्री दिनेश कुमार गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश गोयल, 32 इंदिर कॉलोनी, गुरूद्वारा रोड़, वार्ड नम्बर 45, सादुलशहर बनाम लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.08.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दिनेश कुमार गोयल स्वयं उपस्थित नही। अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अपीलार्थी ने** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष दिनांक 07.09.2018 को प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करके सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री दिनेश कुमार गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 07.09.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से निम्न सूचना चाही थीः

> राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमशः
>
> क्रमांक एफ7(2)(15)/नपा.शिका/2014–15/834 दिनांक 22.02.18
> क्रमांक एफ7(2)(15)/नपा.शिका/2014–15/1649दिनांक 19.04.18
>
> पर आप द्वारा आज दिनांक 04.09.2018 आवेदन तक की गई समस्त कार्यवाही (यथा जांच पत्र, दौरान जांच एकत्रित किये गये साक्ष्य रिपोर्टस, स्पष्टीकरण आदि) की प्रमाणित प्रतियां देवें।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सादुलशार ने अपने पत्रांक निर्वा/2019/एसपीएल–1 दिनांक 25.02. 2019 से निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक प्रकरण में निवेदन निम्नानुसार है :
>
> 1. यह है कि आवेदक दिनेश कुमार गोयल द्वारा जिस आरटीआई प्रार्थना पत्र के विरूद्ध अपील दायर की गई है ऐसा कोई लोक सूचना अधिकार अधिनियम आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।
>
> 2. प्रासंगिक अपील संख्या 73/2018 में राज्य निर्वाचन आयोग को की गई शिकायत प्रार्थना पत्र क्रमांक 834 दिनांक 22.02.2018 के संबंध में दिये गये प्रत्युत्तर की छांयाप्रति चाही गई है। इस संबंध में निवेदन है कि उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र का प्रत्युत्तर इस कार्यालय के पत्रांक 2749 दिनांक 27.02.2018 द्वारा श्रीमानजी को भी प्रेषित की गई है। जिसकी छांयाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।
>
> श्रीमान्जी निवेदन है की उक्त अपील के संबंध में प्रार्थी का कोई भी लोक सूचना अधिकार अधिनियम आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नही हुआ है। अतः श्रीमानजी उक्त अपील संख्या 73/2018 को खारिज फरमाया जावे।
>
> **संलग्न : उक्तानुसार।**
>
> -sd-
>
> निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
>
> एस.डी.एम., सादुलशहर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2018 प्राप्त नहीं हुआ है। **इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसलिए अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है एवं अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर सूचना प्राप्त कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार सूचना उपलब्ध करवायें।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर